एसबीआई ने चीनी मिलों के कर्ज पर जताई चिंता

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 29 सितंबर

उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलों को बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी के तौर पर कर्ज देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसीबआई) ने राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। बैंक का कहना है कि सरकार की गन्ना मूल्य निर्धारण नीति के कारण ही चीनी मिलों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है और गन्ना बकाया बढ़ रहा है।

राज्य की 95 निजी चीनी मिलों को हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी की दरकार होती है जिनमें से करीब 60 फीसदी कर्ज एसबीआई द्वारा मुहैया कराई जाती है। निजी मिलें फिलहाल गन्ना बकाया के बोझ तले दबी हैं और उन पर करीब 3,500 करोड़ रुपये है। इहालाबाद उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर को एक याचिका की सुनवाई के दौरान मिलों को निर्देश दिया था कि वह 31 अक्टूबर तक अपने चीनी के स्टॉक को बेचकर किसानों के बकाये का भुगतान करें।

एसबीआई की चेयरमैन अरुंधती भट्टाचार्य ने 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को लिखे पत्र में इस बात की चिंता जताई है कि मिलों को दिया गया कर्ज को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में बदलने का जोखिम बना हुआ है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि चीनी मिलें अपना स्टॉक बेचकर संबंधित जिले मजिस्ट्रेट के जरिये किसानों के बकाये को चुकाएं।

उच्च न्यायालय के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें स्टॉक बेचने से मिली पूरी रकम किसानों के बकाया चुकाने में खर्च कर रही हैं, जिससे बैंकों का कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए उनके पास कोई रकम नहीं बच पा रही है। पत्र में कहा गया है कि इससे कंपनियों के डिफॉल्टर होने का खतरा बना हुआ है, वहीं जिन बैंकों ने चीनी उद्योग को कार्यशील पूंजी के तौर पर कर्ज दिया है, उन्हें भी मुश्किलें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 साल के दौरान चीनी मिलों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्षमता में काफी इजाफा हुआ है और सरकार की नीतियों, खासकर गन्ना मूल्य निर्धारण और कच्ची चीनी के आयात आदि के कारण चीनी उद्योग संकट में फंसा है। भट्टाचार्य ने कहा, 'उप्र की कंपनियां, जिन्होंने पूंजीगत कर्ज लिया है वे राज्य सरकार द्वारा 2004 में घोषित नीति के तहत लाभ पाने की हकदार नहीं हैं।'

Business Standard
30/9/14